

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2016/माघ 22, 1937

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2016/MAGHA 22, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

**का.आ. 447(अ).**—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

- (1) यह आदेश न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जायेगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में, अनुसूची में मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में क्र.सं. 121 के बाद तथा इससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित संख्या तथा प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामतः—

“122. मैसर्स श्रीपति पेपर एंड बोर्ड प्रा. लि., इकाई-1, अन्नईकुट्टम पोस्ट, शिवाकाशी, विरूद्धवनगर, तमिलनाडु”।

[फा. सं. 4(2)/2015-कागज]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के का.आ. 1105 (अ) के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के का.आ. 639 (अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Industrial Policy and Promotion)**

(PAPER SECTION)

**ORDER**

New Delhi, the 9th February, 2016

**S.O. 447(E).**—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:—

1. (1) This order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2016.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the mill and location, after S. No. 121, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

“122. M/s. Sripathi Paper & Boards Pvt. Ltd., Unit-I, Anaikuttam Post, Sivakasi, Virudhvnagar, Tamil Nadu”.

[F. No. 4(2)/2015-Paper]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1105 (E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended vide number S.O. 639(E), dated the 1st April, 2015.